[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 10/2022-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2022

सा.का.नि....(अ).- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्यांक 27/2011-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011 जो संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की सारणी में,-

(i) क्र. सं. 20ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) क्र.सं. 38क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)
"38ख	4101	भैंस की कच्ची खाल और चर्म	30%" ;

(iii) क्र. सं. 63, 64 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2022 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं. 334/01/2022-टीआरयू]

(नितिश कर्नाटक)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, संख्यांक 27/2011 सीमाशुल्क तारीख 1 मार्च, 2011, संख्यांक सा.का.नि. 153(अ), तारीख 1 मार्च, 2011 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी, और अधिसूचना संख्यांक 27/2019 सीमाशुल्क तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा अंतिमबार संशोधित की गई थी जो संख्यांक सा.का.नि. 484(अ), तारीख 6 जुलाई, 2019 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।